न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील रसद प्रकरण संख्या 76/2015 (GCMS: 2015/00022)

मैसर्स विनोद कुमार, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मैसर्स विनोद कुमार, उचित मूल्य दुकानदार के अधिवक्ता श्री पूर्णराम घोड़ेला एवं प्रवर्तन अधिकारी श्रीमती पूजा अग्रवाल उपस्थित। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उसे नोटिस दिनांक 01.05.2015 इस आरोप के साथ प्रेषित किया गया कि वरवक्त जांच केवीएसएस सूरतगढ़ के पीडीएस गेहूं प्रभारी धर्मवीर के अनुसार उन्होनें ट्रैक्टर ट्राली, पीबी–47–5489 व ट्रैक्टर ट्राली पीबी 15ए–9682 में गेट पास संख्या 14396/09 दिनांक 12.07.2014 द्वारा 330 कट्टों में 164.45 क्विंटल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं विनोद कुमार उचित मूल्य दुकानदार सरदारपुरा बीका के लिए रवाना किया थ। परन्तु मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज जी–1/102 रीको एरिया, सूरतगढ़ में हुई कार्यवाही के तथ्यों के अनुसार उक्त 164.45 क्विंटल गेहूं आपके द्वारा उपभोक्ताओं मे वितरण नहीं करके सीधे ही मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज जी–1/102 रीको एरिया, सूरतगढ़ को काला बाजारी में बेच दिया गया। इस सम्बन्ध में आपके खिलाफ एफआईआर संख्या 342/14 भी दर्ज हुई है।

अपीलार्थी दिनांक 04.06.2015 को अपना पक्ष रखने के लिए जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ तो उसे मालूम हुआ कि सका अनुज्ञा पत्र दिनांक 05.05.2015 को ही निरस्त करते हुए सम्पूर्ण प्रतिभूमि की राशि जो जब्त करने के आदेश दिये जा चुके है।

अपीलार्थी को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं प्रत्यर्थी के द्वारा राजस्थान खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तु (वितरण का विनिमयन) आदेश 1976 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के उपबंधों की पालना नहीं की गई, जबकि राजस्थान खाद्य एवं अन्य आवश्यक

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों के तहत सुनवाई का अवसर दिये जाना अनिवार्य प्रावधान है।

अपीलार्थी के विरूद्ध सरदारपुरा बीका में उचित मूल्य दुकान के लिए दिया गया गेहूं विकास इण्डस्ट्रीज को उक्त कालाबाजारी में विक्रय करने का आरोप लगाया गया है, जिसके सम्बन्ध में एफआईआर दर्ज होना उल्लेखित किया गया, जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध यह आरोप निराधार है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि मैसर्स विनोद कुमार, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका, तहसील सूरतगढ़ को बार–बार सूचित करने पर भी उसके द्वारा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया और न ही नोटिस का जवाब पेश किया गया था।

अपीलार्थी को दिनांक 01.05.2015 को नोटिस जारी करने से पूर्व दिनांक 15.07.2014 को भी नोटिस भिजवाया गया था, परन्तु उसके द्वारा पूर्व में भी कोई जवाब पेश नही किया था, जबकि अपीलार्थी के खिलाफ एफआईआर संख्या 342/2014 भी दर्ज हुई थी।

330 कट्टों में 164.45 क्वि. गेहूं उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु मैसर्स विनोद कुमार, उचित मूल्य दुकानदार, सरदारपुरा बीका को भिजवाया गया था, परन्तु डीलर द्वारा उक्त गेहूं उपभोक्ताओं को वितरित न कर, कालबाजारी में गेहू बेच दिया, जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जानी उचित होगी।

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रवर्तन अधिकारी, सूरतगढ़ ने दिनांक 14.07.2014 को रिपोर्ट पेश कि दिनांक 12.07.2014 को दो ट्रैक्टर–ट्रालियों में 330 कट्टों में 164.45 क्वि. गेहूं उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स विनोद कुमार को भिजवाया गया था, परन्तु डीलर द्वार मैसर्स विकास इण्डस्ट्रीज रिको ऐरिया को कालाबाजारी में बेच दिया। जिसके सम्बन्ध में डीलर के विरूद्ध दिनांक 13.07.2014 को पुलिस थाना (शहर), सूरतगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 342/13.07.2014 दर्ज हुई। डीजल द्वारा खाद्य सुरक्षा में आवंटित गेहूं उपभोक्ताओं को वितरण न करके कालाबाजारी में बेच दिया जो **राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के** तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्य 14 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

(नियंत्रण) आदेश 2001 के **क्लॉज 5(1) का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी ने कोई दस्तावेज / साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।**

जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 15.07.2014 को भी उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स विनोद कुमार को नोटिस जारी किया गया था तथा जिला रसद अधिकारी द्वारा पुनः दिनांक 01.05.2015 को पुनः नोटिस जारी कर दिनांक 04.06.2015 को जवाब पेश करने हेतु जारी किया गया था, परन्तु जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी के जवाब देने से पूर्व ही दिनांक 05.05.2015 को आदेश पारित कर, उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया।

चूंकि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को दिनांक 04.06.2015 को जवाब पेश करने हेतु नोटिस दिनांक 01.05.2015 को जारी किया गया और जवाब से पूर्व ही दिनांक 05.05.2015 को आदेश पारित कर दिया, इससे प्रमाणित होता है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बिना सुने ही दिनांक 05.05.2015 को आदेश पारित किया है, को खारिज किया जाता है और जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित (Remand) की जानी उचित प्रतीत होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है और अपीलार्थी / उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स विनोद कुमार को आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2026 को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त प्रकरण का 02 माह में निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति मय उनके न्यायालय का मूल रिकॉर्ड जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर